**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**
**<u>07.10.2025</u>**

अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने अपने द्वारा जांच किए जा रहे कमल कालरा मामले में 1.34 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को वैध दावेदार अर्थात आईडीबीआई बैंक को सफलतापूर्वक वापस लौटा दिया है।

ईडी ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा फर्मों/कंपनियों के 59 चालू खाताधारकों व अन्य अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि कई हवाला ऑपरेटरों और कारोबारियों की मिलीभगत से, अग्रिम आयात प्रेषण और कथित सॉफ़्टवेयर आयात के लिए धन प्रेषण की आड़ में, हांगकांग, एसएआर, चीन और दुबई स्थित विभिन्न कंपनियों को भारी मात्रा में धनराशि भेजी गई। हालाँकि, बाद में कोई आयात नहीं हुआ और आरोपियों ने बैंक के समक्ष फर्जी दस्तावेज़ जमा कर दिए।

जाँच के दौरान, ईडी ने विभिन्न अभियुक्तों की 69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करते हुए 7 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए और माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष 5 अभियोजन शिकायतें दर्ज कीं। धन शोधन के अपराध के वास्तविक वैध दावेदारों और पीड़ितों को अपराध की आय (पीओसी) वापस दिलाने/बहाल करने के पीएमएलए के इरादे को ध्यान में रखते हुए, ईडी ने माननीय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष वास्तविक वैध दावेदार अर्थात आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

प्रवर्तन निदेशालय के पूर्वोक्त निवेदन के आधार पर, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने कुर्क की गई अचल संपत्तियों को वास्तविक वैध दावेदार अर्थात आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को वापस करने का आदेश पारित किया। वास्तविक दावेदार को संपत्तियों की वापसी, प्रभावित व्यक्तियों को पीओसी वापस करने के प्रवर्तन निदेशालय के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराधों से निपटने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।